

फर्द अहकाम

(निगम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

अजीत सिंह

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार

कसम प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं- 16 /2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इतिवृत्तस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुवे।
18.01.17	<p>यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 53.88 राजस्थान कारस्तवारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जाये। पञ्चायती दिनांक 10.02.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>पञ्चायत/पञ्चायत के अधिवक्ता 10.2.17 प्रतिवादी को नोटिस जारी होकर जज साहित्य प्रकाशनी को पंठासूची अधिवक्ता की निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर गये हुए है, इतलिय प्रकरण उनके समुक्त दिनांक 13.3.17 को प्रस्तुत करें। <i>[Signature]</i></p> <p>पञ्चायत/पञ्चायत के अधिवक्ता 14/3/17 जज प्रवेशक ने जजक फेरा ठिपा शाहित्य प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल को पंठासूची अधिवक्ता की निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर गये हुए है, इतलिय प्रकरण उनके समुक्त दिनांक 29.5.17 को प्रस्तुत करें। <i>[Signature]</i></p> <p>पञ्चायत/पञ्चायत के अधिवक्ता 28/11 पंठासूची अधिवक्ता की निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर गये हुए है, इतलिय प्रकरण उनके समुक्त दिनांक 3.11.17 को प्रस्तुत करें। <i>[Signature]</i></p> <p>पञ्चायत/पञ्चायत के अधिवक्ता 3.11.17 पंठासूची अधिवक्ता की निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर गये हुए है, इतलिय प्रकरण उनके समुक्त दिनांक 6.12.17 को प्रस्तुत करें। <i>[Signature]</i></p>	
2-4-18	<p>पञ्चायत/पञ्चायत के अधिवक्ता 6.12.17 पंठासूची अधिवक्ता की निर्दिष्ट में/भरण अवकाश पर गये हुए है, इतलिय प्रकरण उनके समुक्त दिनांक 2.4.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>2-4-18 कुल वादी उपा प्रतिवादी से.01 ने जजक फेरा ठिपा जो शाहित्य प्रकाशनी को पेश के वास्ते तनकिभात डि. 28.5.18 को पेश के <i>[Signature]</i></p>	

14.5.18

पञ्जावली न्याय भाग के हाट शिफ्टने
असल सेवा केन्द्र कौली में पेशदारी
पञ्जावली व राजपरोका के हाट उस्तुत
जबकि का अवलोकन किया गया
वाडी के हाट मौजा कौली के खसल
नम्बर 1429 रकबा 30:02 बीघा में
से 07 बीघा उत्तरी काग का हाट
रुडवर्नि पजेशन के आधार पर पेश
किया गया है राजपरोका ने जबकि
पेश कर निवेदन किया कि हाट कौली
की बहुत ही मोमली जमीन इन्फे के
लिए वाड पेश किया गया है वाड स्वीकार
कर वाडी के पत्र में निर्णय देने पर
खरका को भारी हाके होगी वाड अस्त
श्रमि की खातेशरी मात्र प्रतिफल
के रूप में पजेशन के आधार पर हाट
पेश किया है जो खाशीज योग्य है

पञ्जावली के अवलोकन व राज.
परोका के जबकि संपलक होता
है कि वाडी के हाट पजेशन के
आधार पर सरकारी श्रमि को अस्त
की विभा से वाड पेश किया है
जो स्वीकार योग्य नहीं है

अतः वाडी का वाड अस्वीकार
कर खाशीज किया जाता है पञ्जावली
केसल श्रमाट लेकर इफतर दाखिल है